



**MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
(KENDRIYA SAINIK BOARD SECTT)**

**RESERVED DEFENCE SEATS IN MEDICAL/DENTAL COLLEGES
AS GOVERNMENT OF INDIA NOMINEE UNDER
MINISTRY OF DEFENCE QUOTA(2019-20)**

1. Applications are invited for admission to Medical Colleges (approx 17 to 20 seats) and Dental College (01 to 03) {subject to allotment of seats by Ministry of Health}, from sons/daughters/widows/wives of Armed Forces Personnel of the following categories of Defence personnel only, as per priority shown against each:-

<u>Sl. No.</u>	<u>Category</u>	<u>Priority</u>
(a)	Widow/Wards of Defence personnel killed in action	I
(b)	Wards of disabled in action and boarded out from service	II
(c)	Widows/Wards of Defence personnel who died while in service with death attributable to military service	III
(d)	Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.	IV
(e)	Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards	V
(f)	Wards of Ex-Servicemen	VI
(g)	Wives of	VII
	(i) defence personnel disabled in action and boarded out from service.	
	(ii) defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.	
	(iii) ex-servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards.	
(h)	Wards of Serving Personnel.	VIII
(j)	Wives of Serving Personnel	IX

2. **Eligibility for Candidature**

- (a) Selection of candidates for reserved seats as Govt of India Nominee will be made on the basis of marks obtained by the candidates in NEET-2019 conducted by CBSE. Candidates who do not qualify the NEET should not apply.
- (b) Wards of Civilians are not eligible.
- (c) All cases of **disability aggravated** by military service are **not eligible** for P-II, P-IV. They can apply **for P- VI** as applicable.

3. Candidates are required to apply online **within 25 days of declaration of NEET result** on KSB Sectt website www.ksb.gov.in. Eligibility certificate to be completed and signed by RSB/ZSB and countersigned by OIC Records and for serving personnel in priority V, VII, VIII & IX can also be signed by CO/OC Unit to be uploaded alongwith supporting documents and photograph of candidates.



रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

रक्षा मंत्रालय के आरक्षित कोटे के अंतर्गत भारत सरकार के नॉमिनी के रूप में
मेडिकल/डेंटल कालेजों में डिफेंस सीटें (2019-20)

1. निम्नलिखित श्रेणियों के सैन्य कर्मियों के पुत्रों/पुत्रियों/विधवाओं से उनके सम्मुख दर्शाई गई प्राथमिकता के अनुसार मेडिकल कालेजों (लगभग 17 से 20 सीट) और डेंटल कालेज (लगभग 01 से 03 सीट) (बशर्त कि स्वास्थ्य मंत्रालय से उतनी सीटें आवंटित हो) में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रमांक	श्रेणी	प्राथमिकता
(क)	युद्ध कार्रवाई के दौरान भाहीद हुए	I
(ख)	युद्ध कार्रवाई के दौरान अपंग हुए तथा सेना से बोर्ड आउट किए गए	II
(ग)	सैन्य सेवा के कारण सेवा के दौरान दिवंगत हुए हों	III
(घ)	सैन्य सेवा के कारण सेवा के दौरान अपंग हुए हों तथा बोर्ड आउट किए गए हों	IV
(ङ)	वीरता पदक (सेवारत सैनिक/ भूतपूर्व सैनिक)	V
(च)	भूतपूर्व सैनिक के बच्चे	VI
(छ)	पत्नीयों	VII
	(i) युद्ध कार्रवाई के दौरान अपंग हुए तथा सेना से बोर्ड आउट किए गए	
	(ii) सैन्य सेवा के कारण सेवा के दौरान अपंग हुए हों तथा बोर्ड आउट किए गए हों	
	(iii) वीरता पदक (सेवारत सैनिक/ भूतपूर्व सैनिक)	
(ज)	सेवारत सैनिक के बच्चे	VIII
(झ)	सेवारत सैनिक की पत्नीयों	IX

2. उम्मीदवारों के लिए अर्हता

(क) भारत सरकार के नामिती हेतु आरक्षित केन्द्रीय सीटों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित NEET-2019 में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जायेगा। NEET में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन न करें।

(ख) सिविलियनों के बच्चे इस योजना के पात्र नहीं हैं, इसलिए वे आवेदन न करें।

(ग) अपंगता के सभी ऐसे मामले, जो सैन्य सेवा द्वारा **aggravated** हों, और इस योजना के पात्र (पी- II पी-IV, पी-VII) नहीं हैं, वो पी-VI, पी-VIII, पी-IX में आवेदन करें।

3. सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि, आवेदन ऑनलाइन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर करें। ऑनलाइन करने की अन्तिम तिथि नीट का परिणाम घोषित होने पर 25 दिन तक है। इलजीविल्टी सर्टिफिकेट को अपने RSB/ZSB से साईन करा कर अपने रिकार्ड ऑफिस से काउन्टर साईन करवा कर और सेवारत पी-V, पी-VII, पी-VIII, पी-IX, ओसी/सीओ से साईन करा कर अन्य सभी सम्बन्धित दस्तावेज एवं फोटो के साथ अपलोड करें।